अनुदान संख्या 81 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 81–DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	2405,64,00	2025,06,90	–380,57,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			380,39,70

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:- -

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451’’ सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head “3451” Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	564.00	670.41	670.41	. .
पु.	R.	106.41			
मुख्य शीर्ष “2501’’ ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head “2501” Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	180280.00	178502.79	178502.79	. .
पु.	R.	–1777.21			
मुख्य शीर्ष “2506’’ भूमि सुधार	Major Head “2506” Land Reforms				
मू.	O.	5080.00	1054.00	1036.60	–17.40
पु.	R.	–4026.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	23430.00	. .	. .	. .
पु.	R.	-23430.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	31010.00	22260.17	22260.17	. .
पु.	R.	–8749.83			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	200.00	36.93	36.93	. .
पु.	R.	–163.07			

(I) 26330.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2501'' - "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम'' -

(क) "राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड - अन्य स्कीमें'' - 200.00 लाख रु. राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अंतर्गत निगरानी कक्ष की स्थापना किए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "जैव ईंधन स्कीम'' - 2700.00 लाख रु. जैव ईंधन मिशन को मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.26330.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads under the following major heads:-

(A) Major Head "2501" – "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme" –

(a) "National Wasteland Development Board – Other Schemes" – Rs.200.00 lakhs - due to non-finalisation of setting of monitoring cell under National Rehabilitation Resettlement Policy, 2007.

(b) "Bio-Fuels Scheme" – Rs.2700.00 lakhs - due to non-receipt of approval from Cabinet for Bio-diesel Mission.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''भूमि सुधार - अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 4020.00 लाख रु.;

(ख) ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम'' -

(i) ''एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम'' - 18160.00 लाख रु.; और

(ii) ''व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप'' - 950.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेषराशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''जैव ईंधन स्कीम'' - 300.00 लाख रु. जैव ईंधन मिशन को मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम'' - व्यावसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप '' के अंतर्गत 6319.50 लाख रु. की बचत (8250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2506'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं: -

(का) ''निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 3776.00 लाख रु. की बचत (4580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रकोष्ठ/केंद्रों की स्थापना के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने वे कारण हुई।

(B) Major Head "2552" –

(a) "Land Reforms – Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme" – Rs.4020.00 lakhs;

(b) "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme" –

(i) "Integrated Watershed Management Programme" – Rs.18160.00 lakhs; and

(ii) "Professional Support and Other Activities" – Rs.950.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Bio-Fuels Scheme" – Rs.300.00 lakhs - due to non-receipt of approval for Bio-diesel Mission from Cabinet.

(II) Under Major Head "2501" – "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - Professional Support and Other Activities" – saving of Rs.6319.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8250.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(III) Under Major Head "2506" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Land Records Modernisation Programme" – saving of Rs.3776.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4580.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from States/Union Territories for setting up of NLRMP Cell/Centres, non-setting up of Programme Management Unit and economy measures.

(खा) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 267.40 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख और आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' के अंतर्गत 11901.56 लाख रु. की बचत (30700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय भूमि अभिलेख और आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' के अंतर्गत 163.07 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - भू-संसाधन विभाग'' - 106.41 लाख रु. का अधिक व्यय (564.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के बकायों का निपटान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम'' - 7442.29 लाख रु. का अधिक व्यय (169130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(का) ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम'' - 2914.23

(B) "Other Expenditure - National Land Records Modernisation Programme" – saving of Rs.267.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms – Other Grants - National Land Records Modernisation Programme" – saving of Rs.11901.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30700.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Land Reforms – Other Grants - National Land Records Modernisation Programme" – saving of Rs.163.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of proposals from States/Union Territories and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Land Resources" – excess of Rs.106.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.564.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear dues of salaries.

(II) Major Head "2501" – "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - Integrated Watershed Management Programme" – excess of Rs.7442.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.169130.00 lakhs);

(III) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" –

(A) "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - Integrated

लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''बंजर भूमि विकास - अन्य अनुदान - व्यवसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप'' - 237.50 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Watershed Management Programme" – excess of Rs.2914.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs); and

(B) "Waste Land Development – Other Grants - Professional Support and Other Activities" – excess of Rs.237.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.